जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

मनरेगा

विज्ञापन संख्या – 01/2023–24

"महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)" अन्तर्गत सृजित पदों के **नियमित रिक्त पदों** के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना :–

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना **"महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा)"** अन्तर्गत क्षेत्रीय कर्मियों के संविदा आधारित सृजित पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक–4729, दिनांक–04.06.2007 से निर्गत **नियुक्ति, सेवा शर्त्त कर्त्तव्य नियमावली–2007** निर्गत एवं प्रवृत है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6440, दिनांक–17.07.2012 तथा सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक–(N) 848 दिनांक–21.03.2017 से निर्गत (संशोधित, **नियुक्ति, सेवा शर्त्त कर्त्तव्य नियमावली–2017)** तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक –1617 दिनांक 17.03.2023 एवं संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016 में निहित स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान के अनुरूप पूर्वी सिंहभूम जिले में मनरेगा के तहत संविदा के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निम्न विवरणी के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

रिक्त पदों की विवरणी

क्र०सं०	आवेदित पद का नाम	कोटि						कुल
		अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अ०पि०वर्ग	पि०वर्ग	अ०क० वर्ग	
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	02	–	–	01	–	–	03
2	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	11	09	01	03	03	05	32
3	लेखा सहायक	02	02	–	–	–	01	05
4	कम्प्यूटर सहायक	02	02	–	–	–	01	05
5	ग्राम रोजगार सेवक	04	23	–	–	04	23	54

नोट :–

1. आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
2. नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी।

3. रिक्तियों की संख्या अंतिम रूप से पूर्वी सिंहभूम जिला में मनरेगा अंतर्गत कार्यशील पंचायतों के आधार पर तय की जाएगी एवं उक्त के अनुरूप नियुक्ति पत्र दिया जायेगा।

4- आवेदन पत्र का प्रारूप एवं रिक्त पदों के लिए वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी पूर्वी सिंहभूम जिले के वेबसाईट **www.jamshedpur.nic.in** पर तथा उप विकास आयुक्त–सह– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के सूचना पटट् पर देखा जा सकता है।

5. आवेदक के द्वारा दिनांक 02/11/2023 से दिनांक 22/11/2023 के अपराह्न 5:00 बजे तक विभागीय बेवसाईट – **https://applyrdd.jharkhand.gov.in/** के माध्यम से केवल ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा।

ह0/-
उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक : 1760/जि0ग्रा0 दिनांक : 30/10/23

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को अविलम्ब जिला के वेबसाईट **www.jamshedpur.nic.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना 03 (तीन) स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ समर्पित करते हुए अनुरोध है कि नियुक्ति हेतु विभागीय पोर्टल **https://applyrdd.jharkhand.gov.in/** पर इच्छुक आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

28/10/23
उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

शैक्षणिक योग्यता :–

पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	1. **अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा। 2. **अतिरिक्त योग्यता :–** **a)** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/ पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। **b)** एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडे जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स से पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।
तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	1. **अनिवार्य योग्यता :–** **सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।** **नोट :– विभागीय पत्रांक 1167/ग्रा0वि0 दिनांक 01.03.2013 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी यथा सिविल संकाय में बी0 टेक/बी0ई उत्तीर्ण भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे।** 2. **अतिरिक्त योग्यता :–** **a.** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईन्स अतिरिक्त योग्यता अतिरिक्त योग्यता होगी। **b.** बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर

	ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोडा जायेगा। **c.** एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडे जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।
लेखा सहायक	1. <u>अनिवार्य योग्यता :–</u> सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण जिन्हे 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। 2. <u>अतिरिक्त योग्यता :–</u> **a)** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0 कॉम, बी0 सी0 ए0 तथा एम0 सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी। **b)** एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 के कोटि में जोड़े जायेगे। पी0जी0 डी0सी0ए0 एवं एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।
कम्प्यूटर सहायक	1. <u>अनिवार्य योग्यता :–</u> **a)** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेगें :– ➢ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स ➢ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य ➢ बी0सी0ए0 ➢ सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण। **b)** बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होने तत्पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि अंकित किया जायेगा। 2. <u>अतिरिक्त योग्यता :–</u> **a)** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। **b)** एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा तथा

	तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चत् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।
ग्राम रोजगार सेवक	1. <u>अनिवार्य योग्यता</u> :– सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई०टी०आई०, मैट्रिक के पश्चात् आई०टी०आई० की स्थिति में आई०टी०आई० के प्राप्तांक को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा। 2. अतिरिक्त योग्यता :– **a)** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी०सी०ए० तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी०जी०डी०सी०ए०/ पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी। **b)** स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नाकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। 3. अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडियट, स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर योग्यताओं में कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

नोट :– अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DBE से मान्यता संबंधित कागजात/मार्कशीट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षिणक प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे। उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं कराये जाने पर संबंधित संलग्न शैक्षिणक प्रमाण पत्र अंक की गणना नहीं की जायेगी।

1. परिलब्धि :– विभागीय पत्रांक 1028(N) ग्रा०वि०, राँची दिनांक 04.08.2022 के आलोक में विभिन्न पदों की परिलब्धि निम्नवत् होगी –

क०सं०	आवेदित पद का नाम	मासिक मानदेय
1	2	3
01	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	23140/-
02	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	19000/-
03	लेखा सहायक	14300/-
04	कम्प्यूटर सहायक	14300/-
05	ग्राम रोजगार सेवक	11000/-

❖ *ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को यह अधिकार होगा की वे इस संबंध में आवश्यक संशोधन कर सके।*

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक–4550, दिनांक–31.05.2016 के संदर्भित सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–2435, दिनांक–14.08.2018 एवं अपर मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–(N) 439 (अनु०), दिनांक–21.02.2018 के आलोक में नियुक्ति हेतु समूह ''ख'', ''ग'' एवं ''घ'' में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/अर्न्वीक्षा समाप्त की गयी है, जो इस नियुक्ति में लागू होगी।

3. आवेदन पत्र एवं विवरणी पूर्वी सिंहभूम जिले के वेबसाईट www.jamshedpur.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र दिनांक 02/11/23 से 22/11/2023 तक Online (https://applyrdd.jharkhand.gov.in/) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

4. **आयु सीमा :– दिनांक–01.09.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम :–**

क्र०सं०	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
01	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
02	पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
03	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
04	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष)	40 वर्ष	50 वर्ष
05	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (अ०क०वर्ग)	35 वर्ष	45 वर्ष

(सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक–7636, दिनांक–12.10.2018 के अनुसार)

5. **नियुक्ति हेतु शर्त्त :–**

i. सृजित पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नही होगा।

ii. प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपर्युक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

iii. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

iv. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर चयन इस जिले के लिए किया जाएगा, जहाँ आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात् ये जिला स्तरीय पद होंगे। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन जिले के क्षेत्राधिकार के किसी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक सक्षम होंगे तथा उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।

v. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नही हो, तो वे उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

vi. उक्त पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उसमें उर्तीणता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही आपकी नियुक्ति मान्य होगी।

vii. उपर्युक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन पूर्वी सिंहभूम जिला के किसी भी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। ऐसे पदस्थापन स्थान को आपके द्वारा चुनौती नही दी जा सकेगी।

viii. योगदान करने के साथ ही यह समझा जाएगा कि आप मनरेगा योजना अन्तर्गत संविदा आधारित पदों की नियुक्ति नियमावली में दिए गए शर्त्तों एवं भविष्य में सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहमत है।

6. <u>सामान्य निर्देश</u> :–

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आरक्षणः– अ0क0व0/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो (OBC-I/OBC-II) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
3. स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रांची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–3198, दिनांक–18.04.2016 प्रभावी होगा।
4. सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–5994, दिनांक–18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसकी वैधता दो वर्ष रहेगी।
5. नियुक्त कर्मी को जिले के किसी भी प्रखण्ड या पंचायत में पदस्थापित किया जाएगा।
6. अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DEB से मान्यता से संबंधित कागजात/ऑनलाईन की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में Grade अंकित हो, तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण काराकर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हे इस आशय का एक शपथ पत्र भी समर्पित करना होगा कि झारखण्ड प्रान्त के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नही किया गया है। उनके द्वारा समर्पित शपथ–पत्र यदि कभी भी असत्य

पाया जाता है, तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसके लिए उसके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

9. अर्हत्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधी अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा।

10. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा।

Sd/-

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक :-1761/जि०ग्रा०, दिनांक :- 30/10/23

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को अविलम्ब जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

–: आवेदन कैसे करें :–

आवेदक के द्वारा दिनांक 02/11/2023 से दिनांक 22/11/2023 अपराह्न 5:00 बजे तक वेबसाईट https://applyrdd.jharkhand.gov.in पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा–

1. स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो।
2. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त अनिवार्य योग्यता का अंक प्रमाण पत्र।
3. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता का अंक पत्र।
4. आरक्षण का दावा करनेवाले आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
7. शपथ पत्र–विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। वैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के आवेदन कर रहे हैं, उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. जन्मतिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।
9. सभी अपलोड किये जानेवाले प्रमाण पत्र पठनीय होना चाहिए। अपठनीय होने की स्थिति में संलग्न प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. जिन आवेदकों के शैक्षिणक प्रमाण पत्र में Grade/CGPA/DGPA स्कोर कार्ड अंकित हो, उन आवेदकों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अन्तरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। वैसे आवेदक जिनका 5 वर्षीय स्नातक एवं स्नाकोत्तर का एकीकृत (Integrated) अंक पत्र हो, संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक एवं स्नाकोत्तर का पृथक अंक पत्र/प्रतिशत का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।
12. अहर्ता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
13. आवेदक द्वारा आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य होगा।
14. निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
15. आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित आवेदक का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

शपथ–पत्र का प्रारूप

मैं .... पिता/पति .... निवासी ग्राम ....

पो0.................................. प्रखण्ड ....थाना .... जिला .... का स्थायी निवासी हूँ। मैं इस शपथ पत्र में यह घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर झारखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत .... के पद पर आवेदन किया हूँ।
2. मै झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया हूँ। अगर गलत पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
3. मैं किसी नियोक्ता के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हूँ एवं अन्य तरीके से लाभ अर्जन नहीं कर रहा/रही हूँ, यदि शपथपत्र कभी भी गलत पाया गया तो मेरी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
4. इस शपथ–पत्र का उद्देश्य मुझे मनरेगा अंतर्गत ".." के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करना है।

सत्यापन (नोटरी एफिडेविट)

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य एवं सही हैं, यह शपथ–पत्र आज दिनांक .... को........................... न्यायालय परिसर में हस्तांतरित किया।

शपथकर्त्ता

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया।